न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./60/2022/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. दुर्गाराम कपुराराम का.मु. 1/1रणछोड़राम पुत्र दुर्गाराम 1/2सुरेश पुत्र दुर्गाराम 2. जगदीश पुत्र कपुराराम का.मु. 2/1श्यामलाल पुत्र जगदीश 2/2डायाराम पुत्र जगदीश 3. ओमाराम पुत्र रूपाराम 4. गोविन्दराम पुत्र रूपाराम 5. लिकमाराम पुत्र रूपाराम 6. जितेन्द्र पुत्र रूपाराम 7. पानीदेवी पत्नी रूपाराम 8. घेवरीया उर्फ घेवरराम 9. जीवाराम पुत्र दलाराम 10. सोनाराम पुत्र गुणेशाराम 11. बाबुराम पुत्र गणेशाराम 12. मीठाराम पुत्र गणेशाराम जातियान माली निवासीयान कुसीप तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	1. रामाराम पुत्र रताराम का.मु. 1/1शान्तिलाल पुत्र रामाराम 1/2राजु पुत्र रामाराम 1/3अशोक पुत्र रामाराम 1/4छगनी पत्नी रामाराम 2. उदाराम पुत्र रताराम 3. मिसरा पुत्र केहनाजी का.मु. 3/1सोनाराम पुत्र मिसराजी 3/2हुकमाराम पुत्र मिसराजी कायम मुकाम 3/2/1राणीदेवी पत्नी हुकमाराम 3/2/2उत्तमकुमार पुत्र हुकमाराम नाबालिग जरीये कुदरती वली माता राणीदेवी पत्नी हुकमाराम जाति माली निवासी कुसीप तहसील सिवाना 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2009 बउनवान रामाराम बनाम दुर्गाराम वगेरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.2012 व 14.03.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—01.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/उतरदाता ने अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विद्वान सहायक कलक्टर सिवाना के न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वक्त सेटलमेंट से राजस्व ग्राम कुसीप में स्थित है, खसरा संख्या 340 रकबा 22.10 बीघा, खसरा संख्या 322 रकबा 28.14

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बीघा, खसरा संख्या 323 रकबा 01 बीघा, खसरा संख्या 324 रकबा 04.18 बीघा कुल रकबा 57.02 बीघा है। अपीलाधीन आराजी कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पूर्वज जोराजी की हिस्सेदारी वक्त सेटलमेंट से ग्राम कुसीप के खसरा संख्या 340 रकबा 22.10 बीघा में 1/2 होने से वादीगण के पूर्वज रमीया पुत्र केहनाजी के हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 10 मिसरा का हिस्सा 1/8 तथा वादीगण के द्वारा इसी खसरा में कुंपाराम के वारिसान रामाराम द्वारा वादीगण के पिता रताराम के पक्ष में हस्तांतरित कर दिये जाने से वादीगण की हिस्सेदारी 1/4+1/8=3/8 की है, प्रतिवादी संख्या 07 ता 9 का 1 हिस्सा है। इसी कदर मौके पर काबिज है। गांव कुसीप के खसरा संख्या 322, 323, 324 के रकबा 34.12 बीघा में वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 के संयुक्त खातेदारी की होने से वादीगण के पूर्वज जोराजी की हिस्सेदारी वक्त सेटलमेंट से 1/3 होने से वादीगण के पूर्वज रतीया पुत्र केहनाजी के हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 1/12 तथा वादीगण के द्वारा इसी खसरा में कुंपाराम के वारीसान रामाराम द्वारा वादीगण के पिता रताराम के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिये जाने से वादी की हिस्सेदारी 1/6 +1/12=1/4 की होती है, व प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा 1/27+3/27=4/27 पुश्तैनी व खरीद का होता है, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/27, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/9, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का हिस्सा 1/9 व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 का हिस्सा 1/9 का है। इसी कदर मौके पर कब्जा हैं। राजस्व रेकर्ड में हिस्सा सही दर्ज नहीं होने से भूमि की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाने से प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 वादीगण की भूमि में दखल अन्दाजी करते आ रहे हैं। इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत पक्षकारों के विरूद्ध पारित की गई। प्रतिवादी संख्या

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

01 रामाराम की मृत्यु दिनांक 25.07.2014 को हो जाने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा उनके विधिक प्रतिनिधि को रेकर्ड/अभिलेख पर लेने संबंधित कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई,। वादी का वाद अंतर्गत धारा 22 नियम 04 व 09 अबेट हो चुका था। किन्तु उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिवाना को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिवाना द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने से पहले तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इस कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर सहायक कलक्टर द्वारा अंतिम डिक्री जारी कर दी। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। वादीगण के वारिसान मौके पर आये और आते ही धमकियां देने लगे कि उक्त भूमि के कागजात हमने हमारे नाम से करवा लिये हैं, जिस पर हमने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने सहायक कलक्टर कोर्ट से फैसला होने की बात कही, जिस पर अपीलांट द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पता किया और नकलें प्राप्त की तो विगत दिनांक 25.05.2022 को उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की वजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई लेकिन अपील में हिस्सों को लेकर कोई आपति पेश नहीं की गई। जबकि प्राथमिक निर्णय व डिक्री से हिस्सों की घोषणा की जाती है।अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अपीलांटस येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटस की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर वादी/रेस्पोडेंटस को मिले खातेदारी अधिकारों से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2009 बउनवान रामाराम बनाम दुर्गाराम वगेरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.2012 व 14.03.2013 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

1/4/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/4/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर